

④ निर्णित
20/11/18

फर्द अहकाम

(नियम 13)

24/9/18
11/10/18
22/10/18
29/10/18
20/11/18

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम





श्री. मांगाराम

हलका जौलिया जीवराज

पुत्र श्री. हीरा राम जाति. कासब

निवासी- जौलिया जीवराज

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 04 वर्ष 2018


| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज | हुकम और तारीख तामिल की |
|------------|---|---|
| 05-02-18 | <p>पटवारी हलका जौलिया जीवराज ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2075 में मौजा जौलिया जीवराज के खसरा नंबर 27 रकबा 1.10 बीघा किस्म भूमि. 0.0.0.0.0.0 पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24/9/18 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  तहसीलदार सिणधरी </p> | <p>हुकम और तारीख तामिल की</p> <p style="text-align: right;">  दिनांक 24/9/18 मांगाराम </p> |
| 24/9/18 | <p>पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। और साभल मांगाराम एवं पटवारी हलका उपस्थित। और साभल प्रतिक्रमण स्थान है। अतः पत्रावली दिनांक 11/10/18 को बमुकाम जौलिया जीवराज प्रस्तुत है।</p> <p style="text-align: right;">  तहसीलदार सिणधरी </p> | <p style="text-align: right;">  दिनांक 24/9/18 मांगाराम </p> |

R.C.M.S

2018/00015 निर्णित

118

पत्रावली आण प्राप्त हुई। गैर साफल्य
उपस्थित। गैर साफल्य के अतिक्रमण दृष्टि
संबंधी पत्र पेश किया जा शामिल पत्रावली
किया गया। पीएसडी अधिकारी प्रतिपरीक्षा
के ड्यूटी वाइजर होने के कारण मुख्यतः
बाहर है। पत्रावली दिनांक 12/11/18 को पेश है।



मांगाराम

12-11-18

पत्रावली आण पेश हुई। गैर साफल्य उपस्थित
पत्रावली दस्तावेज की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
पत्रावली दस्तावेज की रिपोर्ट का उत्तर किमा
जाकर पत्रावली दिनांक 20/11/18 को पेश है।



मांगाराम

तहसीलदार सिणधरी

20/11/18

पत्रावली आण पेश हुई। गैर साफल्य उपस्थित
पत्रावली दस्तावेज उपस्थित। गैर साफल्य द्वारा गैर
अभि से अतिक्रमण दृष्टि संबंधी रिपोर्ट पत्रावली दस्तावेज
द्वारा प्राप्त की गई। फैसला मलग के लिखा
जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला सुधार
होकर नंबर से कम होकर इतिवत् दफ्तर है।



मांगाराम

तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पत्रिका सं. 4 के
पृष्ठ सं. 2 पर क्र.सं. 10 पर जुमाना/फसल
निलामी राशि रु. 100/- की मांग दर्ज की गई।

17.12.18
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी